संख्या-15/12-5-2001-600(1)/2001.

प्रेषक,

डा० नसीम जैदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2001

विषय:- मण्डी आवक-किसान उपहार योजना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-विप/1741/2000-1422, दिनांक-22-12-2000 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, नवीन मण्डी स्थलों में अपनी उपज लाकर बेचने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करने तथा उनकी रूचि प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या-6-आर (विक्रेता वाउचर) प्राप्त करने की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से शासन द्वारा "मण्डी आवक-किसान उपहार योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी रूपरेखा निम्नवत् है :-

मण्डी आवक-किसान उपहार योजना

योजना का उद्देश्य

कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, नवीन मण्डी स्थलों में अपनी उपज लाकर बेचने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करने तथा उनकी रूचि प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या-6 आर (विक्रेता वाउचर) प्राप्त करने की ओर बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से इस योजना का संचालन/क्रियान्वयन मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों द्वारा किया जायेगा ।

योजना हेतु पात्रता

(1) प्रदेश के ऐसे समस्त कृषक/उत्पादक जो अपनी स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हुए स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को नवीन मण्डी स्थलों में लाकर बेचतें हैं ।

(2) ऐसे उत्पादक विक्रेता जो वैधानिक रूप से जमीन विधिवत पट्टे पर लेकर कृषि कार्य करते हैं तथा अपने उत्पाद को नवीन मण्डी स्थल में लाकर बेचतें हैं।

(3) योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायगा जो सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के स्थायी निवासी होंगे ।

(4) योजना के तहत केवल उन्हीं कृषक-उत्पादकों को लाभ अनुमन्य होगा जिनके द्वारा एक ही बार में/एक ही त्रैमास में/पूरे वर्ष की प्रत्येक छः माही अवधि में किसी एक मण्डी स्थल में कम से कम रु0 5000/- के मूल्य की निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की बिक्री की गयी हो ।

संचालन की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम कृषक उत्पादक द्वारा नवीन मण्डी स्थल में बेचे गये कृषि उत्पादों से सम्बन्धित प्रवेश पर्चों, प्रपत्र संख्या-6 की मूल प्रतियां सम्बन्धित मण्डी समिति कार्यालय में सचिव, मण्डी समिति के पास जमा करके उपहार कूपन प्राप्त किये जायेंगे । प्रत्येक रु0 5000/- के गुणांक पर एक कूपन देय होगा । वर्ष के दौरान किसी कृषक उत्पादक के द्वारा बेचे गये कृषि उत्पादों से सम्बन्धित एक से अधिक 6-आर का विक्रय मूल्य रु0 5000/- या अधिक होने पर भी उक्त गुणांक के आधार पर कूपन देय होंगे ।

(2) संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर त्रैमास की अवधि में सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपहार हेतु ड्रा निकलवाये जायेंगे ।

(3) सम्भाग स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति द्वारा उपहार ड्रा निकाले जायेंगे :-

1- मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि-- अध्यक्ष
2- सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद ।
3- मण्डल मुख्यालय पर तैनात अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
4- मण्डल मुख्यालय पर तैनात मण्डी सचिव ।
5- सम्भागीय लेखाधिकारी, मण्डी परिषद ।

(4) उपहार ड्रा निकलने की तिथि के 30 दिन के भीतर विजेताओं को अपने कूपन के साथ उपहार हेतु दावा प्रस्तुत करना होगा ।

उपहार

(1) त्रैमासिक ड्रा

प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में निम्नवत उपहारों का वितरण होगा :-

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक संभाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	सीड ड्रिल	एक
द्वितीय	स्प्रेयर (कंधे पर टांगने वाला)	दो
तृतीय	धातु निर्मित बखारी (पांच कुन्तल)	तीन

(2) छ:माही बम्पर ड्रा(वर्ष में दो बार)

प्रत्येक छ: माही की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में सम्पूर्ण छ: माही के दौरान सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपन के आधार पर बम्पर ड्रा वर्ष में दो बार निकाला जायेगा जिसमें उपहार स्वरूप चयनित किसानों को निम्न प्रकार उपहार दिये जायेगें :-

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक संभाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	ट्रेक्टर 35 हार्सपावर	एक
द्वितीय	राइस ट्रान्सप्लान्टर	एक
तृतीय	पावर टिलर	एक

उपहार वितरण हेतु त्रैमास इस प्रकार होगें :-

प्रथम त्रैमास	अक्टूबर से दिसम्बर	द्वितीय त्रैमास	जनवरी से मा
तृतीय त्रैमास	अप्रैल से जून	चतुर्थ त्रैमास	जुलाई से सित

प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर उसके अगले मास में उपहार हेतु ड्रा निकाला जायेगा । वर्ष की समाप्ति पर चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित ड्रा माह अक्टूबर में निकाला जायेगा और इसी ड्रा के साथ बम्पर ड्रा भी निकाले जायेगें ।

बम्पर ड्रा निकालने के लिये वर्ष में दो बार प्रत्येक छ: माही(अक्टूबर से मार्च तक तथा अप्रैल से सितम्बर तक) की सम्पूर्ण अवधि में निर्गत कूपन को सम्मिलित किया जायेगा । चतुर्थ त्रैमास के उपहारों तथा छ: माही बम्पर ड्रा के उपहारों का वितरण 23 दिसम्बर को "किसान दिवस" के अवसर पर सामूहिक रूप से समारोह आयोजित कर किया जायेगा ।

वर्तमान वर्ष में व्यतीत हो चुकी अवधि के लिये यदि कृषक/उत्पादक द्वारा 6-आर एवं प्रवेश पर्ची प्रस्तुत करके कूपन निर्गत करने की मांग की जाती है तो उसे कूपननिर्गत किये जायेगे और उन्हें ड्रा में सम्मिलित किया जायेगा । उपहारों का क्रय यू0पी0 एग्रो से ही किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद के 15 प्रशासकीय सम्भागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक सम्भाग में प्रति त्रैमास 6 किसानों को तथा वर्ष में दो बार (प्रत्येक छ: माही बम्पर ड्रा के आधार पर) तीन किसानों को उपहार प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष 450 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा ।

3- कृपया इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डा0 अनीता मेटी)

पृष्ठांकन संख्या-15§1§/12-5-2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को, निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त सभापति, उत्तर प्रदेश मण्डी समितियाँ ।

आज्ञा से,

§ हीरामणि सिंह यादव §

विशेष सचिव ।